रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2002/चैत्र 5, 1924
No. 142] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2002/CHAITRA 5, 1924

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2002

सा.का.नि. 225 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2002 है।

 (2) ये 1 अगस्त, 1997 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 12 के उपनियम (2) में "पन्द्रह प्रतिशत," शब्दों के स्थान पर "तीस प्रतिशत," शब्द रखे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के मकान किराया भत्ते का पुनरीक्षण 1 अगस्त, 1997 से करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, नियम का भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 1 अगस्त, 1997 से संशोधन किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[फा. संख्या-ए-11014/3/2002-प्र.अ.]

प्रदीप के. देब, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 930(अ) तारीख 26 अक्तूबर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:—

(1) सा. का. नि. 52(अ) तारीख 29-1-1991

(2) सा. का. नि. 46(अ) तारीख 31-1-1994

(3) सा. का. नि. 660(अ) तारीख 21-9-1995

(4) सा. का. नि. 528(अ) तारीख 27-8-1998

(5) सा. का. नि. 842(अ) तारीख 31-10-2000

(6) सा. का. नि. 914(अ) तारीख 12-12-2000

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2002

G.S.R. 225 (E).—In exercise of the powers conferred by sections 35 and 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2002.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1997.

2. In the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, in rule 12, in sub-rule (2), for the words 'fifteen per cent', the words 'thirty per cent' shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

On the basis of a proposal from the Government of Andhra Pradesh, the Central Government has decided to revise the house rent allowance of Members of Andhra Pradesh Administrative Tribunal with effect from 1st August, 1997. Accordingly, the rules are being amended retrospectively, that is, with effect from 1st August, 1997.

2. It is certified that no Member of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the amendment being given retrospective effect.

[No. A. 11014/3/2002-AT]

PRADEEP K. DEB, Jt. Secy.

Foot note :—The principal rules were published vide number G.S.R. 930(E), dated the 26th October, 1989 and subsequently amended vide numbers :—

(1) G.S.R. 52(E), dated the 29th January, 1991

(2) G.S.R. 46(E), dated the 31st January, 1994

(3) G.S.R. 660(E), dated the 21st September, 1995

(4) G.S.R. 528(E), dated the 27th August 1998

(5) G.S.R. 842(E), dated the 31st October, 2000

(6) G.S.R. 914(E), dated the 12th December, 2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.